

**झारखण्ड सरकार,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
प्राचार्य का कार्यालय – औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जामताड़ा ।**

नामांकन हेतु साक्षात्कार की सूचना

जामताड़ा जिला अन्तर्गत NCVT द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र – 2020–21–22 में नामांकन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के द्वारा योग्य आवेदकों को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार मेघा सूची के आलोक में साक्षात्कार /Councelling के लिए सूचित किया जाता है।

क्र. सं.	संस्थान का नाम	साक्षात्कार / councelling का स्थान	साक्षात्कार/ councelling का तिथि एवं समय	कुल प्राप्त आवेदन	कुल स्वीकृत आवेदन	कुल अस्वीकृत आवेदन	अभ्युक्ति
1.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, करमाटी-विद्यासागर	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जामताड़ा	10.02.2021 09:00 AM	106	104	02	सभी स्वीकृत आवेदन पत्र आवेदक आमंत्रित
2.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जामताड़ा		12.02.2021 09:00 AM	171	168	03	सभी स्वीकृत आवेदन पत्र आवेदक आमंत्रित

नोट :- 1. निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होने पर नामांकन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।

2. चयन के उपरान्त तीन दिनों के अंदर विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा।

3. मेघा सूची मैट्रिक के प्राप्तांक पर तैयार किया गया है।

4. कार्मिक, प्रशासनिक, सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक- 14/स्थानीय नीति-14-03/2016 का 4650 दिनांक - 02.06.2016 (संकल्प सं० - 3198 दिनांक - 18.04.2016) का अंचालिधाकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार /councelling के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5. आरक्षण के लाभार्थी (SC/ST/OBC) को अंचालिधाकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार /councelling के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6. उपलब्ध सीटों से अधिक आवेदकों को साक्षात्कार /councelling हेतु बुलाया गया है। स्वीकृत सीटें भर जाने के बाद साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

7. आवेदन पत्र के साथ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र या मैट्रिक अंक पत्र संलग्न नहीं करने वाले आवेदकों को रद्द कर दिया गया है। रद्द किये गये आवेदनों की सूची को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जामताड़ा के सूचना पट पर देखा जा सकता है।

8. मेघा सूची औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जामताड़ा के सूचना पट एवं वेबसाइट www.jamtara.nic.in पर देखा जा सकता है। यदि किसी भी आवेदक को मेघा सूची से संबंधित आपत्ति हो तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के तीन दिनों के अंदर औ० प्र० संस्थान, जामताड़ा के कार्यालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अन्यथा बाद में किसी भी तरह के दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्राचार्य –सह-मंडल पदाधिकारी
औ० प्रशि० संस्थान,
जामताड़ा/ करमाटी-विद्यासागर।

04/02/21